

फर्ट अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी,
मुकाम-गुडामालानी

अदालत स
2025/428
अहकाम की तारीख
दिनांक

चन्द्रा	बनाम	11/11/25
जीसीएमएस संख्या	2025/428	किरम मुकदमा 33

तारीख हुकम	हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज
14/08/25	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उम्रम पक्ष कारण उपो। वादी वकील प्रार्थना पत्र 0-7 R-11 संपठित धारा 151 CPC का प्रवाव पेश करने का अवसर चाहते हैं अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 22/08/25 को पेश हो।
22/08/25	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपो। वकील वादी द्वारा उपपत्र 0-7 R-11 CPC का प्रवाव उपस्तुत किया गया प्रति वकील प्रतिवादी के उपपत्र की पत्रावली वास्तव में उपपत्र 0-7 R-11 CPC दिनांक 04/9/25 को पेश हो।
04.09.25	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। वादीनी संप्रतिवादी सं० 0। स्वयं उपस्थित। वादीनी संप्रतिवादी सं० 0। द्वारा उपपत्र वास्तव में पिछले खारिज करने काउ का उपस्तुत कर निवेदन किया कि इमरत पत्र उपाकरण पत्नी लौहसिंह द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर गलत तरीके से कमी बनकर पेश किया गया है। जबकि वादीनी अपनी प्राकृतिक माता प्रतिवादी सं० 0। के साथ ही निवास करती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं० 0। वादीनी की माता हैं। वे आधारे पर पक्षकार में कोई तनाज नहीं होने से वादीनी हुकम का जरिये विद्वेषण खारिज करवाया जा रहा है। अतः पक्षकार के हाजिर न्यायालय होकर

अदालत सहायक कलेक्टर
मुकाम गुडामालानी
दिनांक 04/09/25

फर्द अहकाम
अदालत सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी
मुकाम-गुड़ामालानी

नाम	पवन कंवर
वनाम	पवन कंवर
जीसीएमएस संख्या	2025/428
किरम मुकदमा	88,188

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए/पावती

हुकम/कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोपम प्रस्तुत करने एवं वादीने के परिपत्री सं० ०। के प्रती होने के तथा वर्तमान में वादीने एवं परिपत्री सं० ०। के वल्लु कौड तनाजा नही होने से उमर डनवान प्रकरण जरिये विद्वाने खारिज किया जावा है। पत्तापत्नी के पत्र सुमार वेकड डाखिण इफतद

[Signature]

सहायक कलेक्टर
 (S.D.O.) गुड़ामालानी

कदमा 88,188
 अहकाम की तामील हुए/पावती